समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612– 2219116(का०)
फैक्स नं०– 0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

दिनांक 24.06.2013 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा (विडियो कॉन्फ्रेसिंग) में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना जिला को राजधानी जिला होने के कारण 500 (पाँच सौ) टेन्ट खरीदने का आदेश दिया गया है। तत्संबंधी पत्र भी संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2532/आ०प्र० दिनांक 27.06.13 से प्राप्त है। उक्त के आलोक में विगत वर्ष 2011 में एतदर्थ प्राप्त निविदाओं में से स्वीकृत निविदादाता फर्म मेसर्स वाक्सोटेक्स इंटरप्राईजेज (M/S Waxotex Enterprises) 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट– तिलरथ, जिला– बेगुसराय, बिहार निविदादाता से टेन्ट की आपूर्ति करने हेतु लिखित सहमति के आधार पर न्यूनतम दर पर टेन्ट क्रय किया गया था। वर्ष 2012 में भी उक्त निविदादाता (Agency) द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर 100 टेन्ट की आपूर्ति की गयी थी। वर्ष 2013 के लिए उक्त फर्म मेसर्स वॉक्सोटेक्स इंटरप्राईजेज, 38, इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट– तिलरथ, जिला– बेगुसराय, बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर टेन्टों की आपूर्ति करने संबंधी लिखित सहमति व्यक्त की गयी है एवं इस आशय का एकरारनामा भी 04.07.13 की तिथि से निष्पादित किया गया है।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स वाक्सोटेक्स इंटरप्राईजेज (M/S Waxotex Enterprises) 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट– तिलरथ, जिला– बेगुसराय, बिहार को निम्नांकित विशिष्टियों एवं शर्तों के अध्यधीन इनके द्वारा पूर्व में दिये गये नमूना के अनुरूप टेन्ट की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है।

क्र०	समग्री का नाम	आकार	मात्रा	लिखित सहमति के आधार पर न्यूनतम दर प्रति टेन्ट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	Family Ridge Tent (Double Fly) Size	4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. With complete accessories	500	17,100.00 (सत्रह हजार एक सौ रुपया सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित)	स्पेयर पार्ट के साथ

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा टेन्ट की आपूर्ति नमूना के आधार पर स्पेयर पार्ट सहित निर्धारित माप दण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप करनी होगी।
2. आपूर्तिकर्त्ता को वर्णित सामग्री पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति हेतु कोई भी परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
3. टेन्ट की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।

4. आपूर्ति किये जानेवाले टेन्ट की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता, पटना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गाँधी मैदान, पटना, समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा, अंचल अधिकारी, पटना सदर की संयुक्त टीम द्वारा की जायेगी।
5. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clerance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् हीं भुगतान किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक :XLI-01/13.738 /आ०प्र० दिनांक 12.7.13

प्रतिलिपि :– मेसर्स वाक्सोटेक्स इंटरप्राईजेज (M/S Waxotex Enterprises) 38 इंडस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पोस्ट– तिलरथ, जिला– बेगुसराय, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/जिला लेखा पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गाँधी मैदान, पटना /समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा/अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।